# सामुदायिक नेतृत्व आधारित ग्रामीण युवा संसाधन केन्द्र

# Community Led Rural Youth Resource Hub

# मानक परिचालन प्रक्रिया

## Standard Operating Procedure

ट्रांसफार्मिंग रुरल इंडिया फाउंडेशन

Transforming Rural India Foundation

भारत एक विकासशील देश है। आजादी के बाद से भारत ने विकास के अनेक आयामों में उन्नति की है और विगत 2 दशकों में लगभग सभी सेक्टर में एक बड़े स्तर पर बदलाव के साथ विकास किया है। विश्व स्तर पर भारत सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है जिसमे लगभग 40 प्रतिशत आबादी (14-35 वर्ष) युवा है। देश की 180 मिलियन या 69% से अधिक 18 से 34 वर्ष आयु की युवा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनमें से गरीब परिवारों के युवा जिनके पास या तो कोई रोजगार नहीं है अथवा सीमित रोजगार है, उनकी संख्या लगभग 55 मिलियन है। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के पास आजीविका के विकल्प सीमित हैं ऐसे में, उन्हें सभी क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को समान रूप से उपलब्ध करवाना भी एक चुनौती रहा है। 21वी सदी के आधुनिक समय में प्रथम दशक में जहाँ आजीविका के संसाधन और कॅरियर विकल्पों में नवीनता आयी है, वहीं दूसरे और तीसरे दशक में आजीविका के संसाधनों में बहुविकल्पता एवं नवाचार आया है। परंतु ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की इन अवसरों एवं संसाधनों तक पहुँच अभी भी सीमित है जिसका प्रमुख कारण बाजार में उपलब्ध विभिन्न आजीविका अवसरों एवं संसाधनों की जानकारी का अभाव एवं उचित परामर्श और मार्गदर्शन में कमी होना है।

उचित मार्गदर्शन के अभाव मे युवाओं द्वारा लिए गए निर्णयों से उनका भविष्य प्रभावित होता है। अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य और कॅरियर को सही आकार देने मे महत्वपूर्ण एवं मूलभूत भूमिका निभाते हैं इसलिए युवाओं के साथ-साथ माता-पिता एवं अभिभावकों को भी उचित मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में, यह दृश्य भी सामने आया कि युवा प्राथमिक रूप से अपने ही भौगोलिक क्षेत्र में रोज़गार, स्व-रोज़गार एवं उद्यमिता के अवसरों के लिए आकांक्षी है, वह न केवल एक स्थायी आजीविका का विकल्प चाहता है अपितु अपने समुदाय में सम्मानजनक आजीविका के साथ प्रतिष्ठित होने की इच्छा भी रखता है। जो युवा आजीविका की तलाश में घर से दूर विभिन्न माध्यमों से रोज़गार अवसर प्राप्त करने के लिए पलायन करते हैं उनमें से लगभग 78% युवा विभिन्न कारणों जिनमे से मुख्य रूप से आदर्श अपेक्षित वेतन, कार्यस्थल पर वातावरण से सामंजस्य में कमी एवं चुने गए कार्य में रुचि न हो पाने के कारण वापस आ जाते हैं, जिसका वास्तव में मुख्य कारण उनकी अपेक्षाओं एवं वास्तविकता में अंतर, सही जानकारी का अभाव, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व के अनुरूप कॅरियर का चुनाव न होना एवं उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श का अभाव है। वर्तमान में रोज़गार एवं उद्यमिता के लिए भी कई विकल्प एवं संसाधन उपलब्ध हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं तक इस जानकारी की पहुँच एवं जागरूकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। किसी ऐसे तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक आजीविका के विभिन्न अवसरों एवं संसाधनों की सूचना प्रसारित हो सके; साथ ही, युवाओं को उचित मार्गदर्शन, कौशल प्रशिक्षण एवं सहयोग प्राप्त हो।

यदि हम ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और समुदाय के लिए उचित जागरूकता और परामर्श सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक रूप से संगठित महिला सामूहिक प्लेटफार्मों का उपयोग करेंगे तो युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए बेहतर विकल्पों की सूचना एवं संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे साथ ही, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं रोजगार अवसरों से अल्पावधि अथवा कार्यक्रम

पूर्ण होने से पहले छोड़ने की संख्या मे कमी आएगी। समुदाय को उन्हीं के क्षेत्र विशेष में क्षमता संवर्धन द्वारा इस प्रकार सशक्त किया जाना आवश्यक है जिससे वे बाज़ार और सरकार के साथ समय और माँग के अनुरूप जुड़कर अद्यतन तकनीक एवं प्रक्रिया के माध्यम से सामुदायिक एवं युवा कल्याण को प्रेरित करें।

## सामुदायिक नेतृत्व आधारित ग्रामीण युवा संसाधन केन्द्र

विगत कुछ वर्षों में यह साक्ष्य सामने आया है कि वैश्विक स्तर पर समाजों के लिए जिसमे विशेष रूप से विकासशील देशों में सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक लाभ में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए एक विकास प्रवर्तक के रूप मे विकसित हुआ है क्योंकि इसके माध्यम से नए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यद्यपि डिजिटल प्रौद्योगिकी तक ग्रामीण युवाओं की प्रारंभिक पहुँच, डिजिटल सेवाओं को वहन करना और आईसीटी के उपयोग के मामले में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से तकनीकी और डिजिटल साक्षरता में निम्न-स्तरीय कौशल एवं आत्मविश्वास में कमी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की आईसीटी तक उनकी पहुँच और उपयोग क्षमता को प्रभावित करता है।

ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न अवसरों की जानकारी तक पहुँच बनाने एवं सही विकल्प का चुनाव करने के लिए एक व्यापक मानव-तकनीकी समाधान की आवश्यकता है। इस समाधान मॉडल द्वारा सामुदायिक सलाहकारों "सारथी" के कैडर के साथ डिजिटल रूप से सक्षम भौतिक केंद्र **(Physical Hub)** स्थापित किया जाना है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को डिजिटल अवसरों तक पहुँच बनाने में सहायता मिले। ये हब एक ऐसे तकनीकी रूप से सक्षम संसाधन केंद्र हैं, जो ग्राम संगठनों के एक संकुल के नेतृत्व में युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार की कौशल, रोजगार और उद्यमिता सेवाओं तक पहुँच के लिए "वन स्टॉप सेंटर" के रूप में कार्य करेगा। ये हब उपलब्ध समाधानों को बढ़ायेंगे और आवश्यकता अनुरूप समाधानों एवं संसाधनों को एकत्रित करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता और शिक्षा की जरूरतों के आसपास के अंतराल को दूर करने के लिए नई कार्यात्मकताओं का निर्माण भी करेंगे। "सारथी" उस समुदाय के स्थानीय परामर्शदाता होंगे जो हब से जुड़कर ग्रामीण स्तर पर युवाओं के लिए डिजिटल अवसरों तक पहुंच की सुविधा के लिए युवाओं और उनके परिवारों के साथ काम करेंगे।

इसके साथ-साथ, यह केंद्र संकुल क्षेत्र के सभी परिवारों **(Household)** पर ध्यान केंद्रित करेगा और पात्रता के अनुसार परिवार एवं उनके सदस्यों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु अनुबंधन सुनिश्चित करने के लिए लक्षित करता है। केंद्र निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों में 100% संतृप्ति लाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकार के फोकस के साथ शीर्ष 12-15 योजनाओं को लक्षित करता है।

समाधान मॉडल राष्ट्रीय फोकस के साथ संरेखित करते हुए एक "वन स्टॉप एंटाइटेलमेंट एंड यूथ रिसोर्स हब" है, जो संकुल स्तरीय संघ **(CLF)** के साथ अंतर्निहित है, जो लगभग (7,000 महिलाओं और उनके परिवारों में से प्रत्येक के लिए) सेवाएं प्रदान करता है:

i. व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाएं (आईबीएस) आमतौर पर महिला सदस्यों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल के आसपास गवर्नेंस प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाती हैं।

ii. विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उठाने हेतु कौशल-से-औपचारिक-रोजगार, स्व-रोजगार एवं उद्यमिता विकल्पों के आर्थिक अवसरों के साथ महिलाओं और युवाओं को जोड़ना, विशेष रूप से जनजातीय आबादी को केंद्रित करते हुए।

हब के व्यवसाय की प्रकृति मुख्य रूप से 'सेवाओं की डिलीवरी' (उत्पाद नहीं) है इसलिए भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता सीमित है।

क्लस्टर स्तर पर हब-स्पोक व्यवस्था प्रस्तावित है जिसमें –

- ✓ हब एक भौतिक केंद्र के रूप में सीएलएफ कार्यालय के साथ सह-स्थित होता है। हब में संचालन एवं प्रबंधन साथ ही विभिन्न पार्टनर, विभाग एवं प्रशासकीय ढांचे के साथ समन्वय हेतु हब समन्वयक एवं अन्य आवश्यक मानव संसाधन नियुक्त किए जाते हैं।
- ✓ स्पोक 'सारथी' हैं जो ग्राम स्तर पर लोगों तक पहुंचकर लक्षित सेवाएं प्रदान करते हैं।

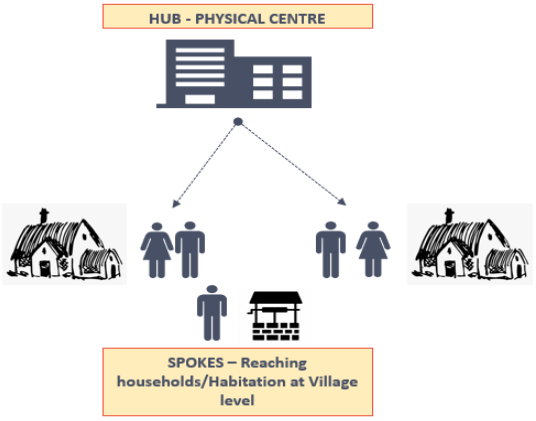


यह केन्द्र ऐसा सुरक्षित स्थान है जो सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है, साथ ही तकनीकी रूप से सक्षम संसाधन केंद्र भी है जहाँ युवा लाभ उठा सकते हैं:

- दीर्घकालीन कैरियर परामर्श
- वर्चुअल लर्निंग, शैक्षिक संसाधन, डिजिटल अप-स्किलिंग
- कौशल, व्यवसाय खोज, योजना, परामर्श और अनुबंधन के रूप में उद्यमिता और आजीविका विकास पर कोचिंग। इन हब में ग्रामीण युवाओं को कृषि और गैर-कृषि आजीविका पर विभिन्न आजीविका प्रोटोटाइप और मानक डीपीआर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- कागजी कार्रवाई अनुपालन के लिए हैंडहोल्डिंग समर्थन, पात्रता तक पहुँच, बैंक ऋण आदि में सहायता
- सॉफ्ट-स्किलिंग प्रशिक्षण एवं उपलब्ध स्थानीय अवसरों पर लाइव डेटाबेस तक पहुंच
- उपलब्ध सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, पात्रताओं, छात्रवृत्तियों और सब्सिडी से अनुबंधन

## वन स्टॉप एंटाइटेलमेंट एंड यूथ रिसोर्स हब की प्रमुख सेवायें

### परामर्श (Counselling)

किसी भी क्षेत्र विशेष, कॅरियर या आजीविका के चयन के लिए उचित परामर्श की आवश्यकता होती है। काउंसलिंग के माध्यम से युवाओं की रुचि एवं अभिरुचि के मापन द्वारा एवं उनके लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कॅरियर एवं आजीविका के विकल्प के चुनाव से उच्च प्रगति की सम्भावना बढ़ जाती है। काउंसलिंग द्वारा युवाओं को सही विकल्पों का चुनाव कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे एक उन्नतिशील भविष्य का निर्धारण किया जा सकता है। काउंसलिंग किसी भी समस्या-समाधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। काउंसलिंग के माध्यम से युवाओं को स्वयं के बारे में जानने एवं स्व-मूल्यांकन में सहायता मिलती है।

### कौशल विकास एवं उन्नयन ( Skill Development and Enhancement)

युवाओं को किसी भी रोज़गार अवसर से जोड़ने के लिए उस क्षेत्र विशेष या जॉब प्रोफाइल से संबंधित तकनीकी ज्ञान एवं कुशलता होना आवश्यक है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कौशल विकास एवं उन्नयन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है जिसमें सभी सेक्टर में कार्य करने हेतु कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के माध्यम से अकुशल एवं अर्द्ध-कुशल युवाओं को प्रशिक्षित करके विभिन्न सेक्टर के नियोजकों एवं उद्योगों आदि में उपलब्ध रोज़गार अवसरों से जोड़ा जा रहा है। इन कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं तक पहुँचाकर एवं उन्हें काउंसलिंग पश्चात अभिरुचि एवं उपलब्ध संसाधन के आधार पर उचित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाना आवश्यक है। यह केन्द्र क्षेत्रीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से युवाओं को जोड़ता है एवं उन्हे वर्तमान समय के अनुरूप कुशल बनाने में सहायता करता है।

### रोज़गार (Employment)

इस केन्द्र के माध्यम से बाज़ार में विभिन्न सेक्टर में उपलब्ध रोज़गार अवसरों की जानकारी युवाओं तक पहुँचायी जाती है, विशेष रूप से औरपचारिक क्षेत्र में उपलब्ध रोज़गार अवसर। औपचारिक रोज़गार अवसर युवाओं को न केवल अद्यतन तकनीक में कार्य करने का अनुभव उपलब्ध करवाते है साथ ही उन्हें एक प्रगतिशील कॅरियर को बनाने में सहायता करते हैं। इस केन्द्र के माध्यम से विभिन्न सेक्टर के नियोजकों, उद्योगों एवं सगठनों में उपलब्ध रोज़गार अवसरों की जानकारी प्रदाय कर युवाओं को सीधे नियोजकों से चयन प्रक्रिया हेतु जोड़ा जाता है। कई युवा अपने ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थानीय रोज़गार अवसर की अपेक्षा

रखते हैं, उन्हें इस केन्द्र के माध्यम से स्थानीय औपचारिक एवं अनौपचारिक रोज़गार अवसरों की जानकारी उपलब्ध करवाकर नियोजकों से जोड़ा जाता है।

## स्व-रोज़गार एवं उद्यमिता (Self-Employment and Entrepreneurship)

स्व-रोजगार एवं उद्यमिता के लिए अभिरुचि रखने वाले एवं आकांक्षी युवाओं को स्थानीय क्षेत्र में विभिन्न स्व-रोज़गार एवं उद्यमिता अवसरों से जोड़कर स्थानीय उद्यमिता को प्रेरित किया जाता है जिससे रोज़गार अवसरों में भी वृद्धि होती है। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए उद्यमिता प्रेरण प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों, एवं सेक्टर आधारित उद्यमिता प्रशिक्षणों को आयोजित किया जाता है जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप एवं एंटरप्राइज़ से जुड़े सभी आयामों की जानकारी, उद्यम को सफल रूप से संचालित करने एवं उद्यम संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है, साथ ही बिजनस प्लान बनवाने, निवेश हेतु विभिन्न उद्यमिता विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ लिंकेज में सहयोग एवं सतत मार्गदर्शन एवं मेंटरिंग हेतु अनुभवी विशेषज्ञों से जोड़ा जाता है जिससे युवा अपने उद्यम को सफल रूप से स्थापित कर संचालन कर सकें।

## पात्रता (Entitlement)

ग्राम एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त माँग एवं पात्रता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं की जानकारी सामुदायिक स्तर पर उपलब्ध करवायी जाती है और योजना से संबंधित विभाग में आवेदन करने से लेकर, आवेदन प्रगति एवं लाभान्विकरण तक ट्रेकिंग कर सहयोग किया जाता है। जिनमें पात्रता के आधार पर समुदाय हेतु बैंकिंग एवं सहयोगी सेवायें, दस्तावेज़ एवं प्रमाण-पत्र, नकद हस्तांतरण, आजीविका और खाद्य सुरक्षा से संबंधित व्यक्तिगत लाभार्थी योजनायें प्रमुख हैं।

## केन्द्र हेतु मानव संसाधन

कम्यूनिटी लेड रुरल यूथ रिसोर्स हब हेतु एक केन्द्र समन्वयक (Hub Coordinator) एवं फील्ड पर कार्य करने हेतु प्रति 6-10 ग्रामों पर एक सारथी (Field Mobilizer) की नियुक्ति किया जाना चाहिए जिससे संकुल स्तर के लगभग सभी ग्राम केन्द्र की सेवाओं से आसानी से जोड़े जा सकें। आदर्श रूप से प्रत्येक हब में एक केन्द्र समन्वयक एवं तीन सारथी की नियुक्ति होना चाहिए।

**केन्द्र समन्वयक (Hub Coordinator) के कार्य-दायित्व**

1. केन्द्र का सुगम रूप से संचालन एवं प्रबंधन करना
2. केन्द्र की सभी संपत्ति जैसे – फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज आदि का रख-रखाव एवं सुरक्षित रखना
3. सारथी की कार्य योजना तैयार करवाना, क्षमता वर्धन, मार्गदर्शन करना एवं कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण करना
4. पंजीकृत युवा/बेरोजगार की उचित प्रक्रिया द्वारा काउंसलिंग करना एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर व्यक्तित्व एवं अभिरुचि मापन करना
5. युवाओं को विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देना एवं परामर्श द्वारा संबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं से जोड़ना
6. युवाओं को संगठित एवं गैर-संगठित क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न रोज़गार अवसरों की जानकारी देना एवं नियोजकों के साथ चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जोड़ना
7. युवाओं को विभिन्न स्व-रोज़गार एवं उद्यमिता के अवसरों की जानकारी देना, संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं से जोड़ना एवं निवेश सहायता हेतु बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से जोड़ना
8. विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों, संगठित एवं गैर-संगठित क्षेत्र के विभिन्न नियोजकों, स्व-रोज़गार एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थानों, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से संबंध एवं समन्वय स्थापित करना, अनुबंध करवाना एवं नियमित रूप से जुड़े रहकर विभिन्न अवसरों की अद्यतन जानकारी एकत्रित करना, फॉलो-अप करना
9. केन्द्र की मुख्य सेवाओं से संबंधित शासकीय विभागों से समन्वय स्थापित करना
10. केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों को समय-सीमा में आयोजित करवाना एवं गतिविधि कैलंडर (साप्ताहिक एवं मासिक) तैयार करना
11. कार्यकारी समिति एवं उप-समितियों के साथ समन्वय स्थापित करना एवं वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना
12. कार्यकारी समिति को केन्द्र की गतिविधियों एवं लक्ष्य प्राप्ति की साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करवाना एवं समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करना

13. केन्द्र के समस्त गतिविधियों से संबंधित डाटा को सुरक्षित एवं सुनियोजित रखना तथा सफलता की कहानियों का संकलन करना
14. केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों को विभिन्न माध्यमों जैसे दैनिक समाचार पत्र, सोशल मीडिया आदि के द्वारा प्रचार-प्रसार करना
15. कार्यकारी समिति के दिशा-निर्देशों का पालन करना

**सारथी (Field Mobilizer) के कार्य-दायित्व**

1. केन्द्र की सेवाओं जैसे- काउंसलिंग, कौशल विकास प्रशिक्षण, रोज़गार, स्व-रोज़गार, उद्यमिता विकास सहयोग, पात्रता आदि की जानकारी युवाओं एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुँचाना
2. मोबलिज़ैशन शिविर आयोजित करना, बेरोजगार युवाओं का पंजीयन करना एवं केन्द्र की विभिन्न सेवाओं से जोड़ना
3. ग्रामों में पात्रता शिविर आयोजित करना एवं विभिन्न शासकीय व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं की जानकारी देना
4. पात्रता एवं माँग के आधार पर व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं हेतु संबंधित विभाग में समन्वय कर आवेदन करवाना, आवेदन प्रगति एवं लाभान्विकरण तक ट्रैक करना
5. केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों जैसे- काउंसलिंग प्रक्रिया, प्लेसमेंट ड्राइव, रोज़गार मेला, स्किल ड्राइव, स्व-रोज़गार एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के आयोजन आदि मे समन्वय एवं सहयोग करना
6. ग्राम संगठन कार्यकारी समिति एवं उप-समितियों से समन्वय स्थापित करना
7. ग्राम पंचायत एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करना
8. ग्राम संगठन की बैठक में केन्द्र के कार्यों की प्रगति की प्रस्तुति करना
9. समस्त कार्यों एवं गतिविधियों के लक्ष्यों को समय-सीमा में प्राप्त करना
10. केन्द्र समन्वयक के दिशा-निर्देशों का पालन करना एवं समस्त गतिविधियों के आयोजन में सहयोग करना
11. विभिन्न कार्यों से संबंधित डाटा को सुरक्षित एवं सुनियोजित करना
12. केन्द्र की सेवाओं से संबंधित समय-समय पर सौंपे गए समस्त दायित्वों का निर्वहन करना

**संकुल स्तरीय संघ की कार्यकारी समिति के कार्य-दायित्व**

1. संकुल एवं ग्राम संगठन स्तर पर केन्द्र की सेवाओं एवं गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करना
2. केन्द्र समन्वयक एवं उप-समितियों के मध्य समन्वय स्थापित करना
3. सारथी एवं ग्राम संगठन कार्यकारी समिति एवं उप-समितियों के मध्य समन्वय स्थापित करना
4. केन्द्र समन्वयक एवं सारथी का केन्द्र की सेवाओं एवं गतिविधियों के परिचालन हेतु क्षमता वर्धन करना
5. केन्द्र समन्वयक के सहयोग से केन्द्र के वार्षिक लक्ष्यों एवं गतिविधियों का निर्धारण करना
6. केन्द्र की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करना
7. केन्द्र के लिए आधारभूत संरचना, उपकरण आदि की व्यवस्था करना
8. केन्द्र समन्वयक को आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश जारी करना

उप-समितियों के कार्यदायित्व

1. आजीविका संवर्धन
2. सामाजिक उप-समिति
3. निगरानी उप-समिति

संकुल स्तरीय संघ का चयन

1. सक्रिय कार्यकारी समिति
2. सक्रिय उप-समितियाँ (संकुल एवं ग्राम संगठन स्तर पर)
3. पिछले 3 वर्ष की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट (अधिकृत इकाई द्वारा सत्यापित)
4. पिछले 1 वर्ष में आयोजित बैठकों का नियमित रूप से कोरम (50 % सहभागिता के साथ) पूर्ण होना चाहिए
5. सत्यापित संपत्ति (Verified assett)
6. नियमित रूप से पदाधिकारियों की चुनाव प्रक्रिया आयोजित की गई हो एवं 50% से ऊपर मतदान हुआ हो।
7. संकुल स्तरीय संघ के पास स्वयं का भवन हो अथवा ग्रामीण युवा संसाधन केन्द्र स्थापित करने हेतु भवन की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं संचालन करने हेतु सक्षम हो।

## केन्द्र हेतु मानव संसाधन चयन प्रक्रिया

### अ. केन्द्र समन्वयक (Hub Coordinator) हेतु चयन प्रक्रिया

केन्द्र समन्वयक के चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में आयोजित होना चाहिए –

1. केन्द्र समन्वयक हेतु चयन प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित होना चाहिए - लिखित परीक्षा, कंप्यूटर संचालन परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार
2. चयन प्रक्रिया से पूर्व चयन समिति का गठन होना चाहिए जिसमे अनिवार्यतः न्यूनतम 3 पृथक-पृथक ग्राम संगठनों के सदस्य होना चाहिए। सुयोग्य अभ्यर्थी के चयन एवं पारदर्शिता हेतु चयन समिति के सदस्य संकुल स्तरीय संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अतिरिक्त भी हो सकते हैं। कार्यकारी समिति, चयन समिति को गठित करने के लिए संगठन के सदस्यों अथवा बाह्य विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है, परंतु चयन समिति की अध्यक्षता केवल संगठन के सदस्यों द्वारा होना चाहिए।
3. गठित चयन समिति द्वारा केन्द्र समन्वयक के रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु एक विज्ञापन जारी कर विभिन्न सामुदायिक मंचों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना चाहिए जिससे न्यूनतम रिक्त पद के 9 गुना आवेदन प्राप्त होना चाहिए।

4. अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों को न्यूनतम योग्यता, आयु , अनुभव आदि के आधार पर सत्यापित कर पात्र अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया हेतु आमंत्रित करना चाहिए एवं चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित तिथि की सूचना अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए।
5. निर्धारित चयन प्रक्रिया के दिन लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना चाहिए जिसमे न्यूनतम अर्हता (40%) प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों को अगले चरण में आयोजित कंप्यूटर संचालन परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना चाहिए।
6. चयन प्रक्रिया एक अथवा दो दिवस में आयोजित की जा सकती है। लिखित परीक्षा के दिन अथवा पूर्व में ही परिणाम घोषणा तिथि की सूचना भी अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए।
7. चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों की सूची केन्द्र पर चस्पा किया जाना चाहिए, साथ ही श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर रिक्त पद संख्या के अनुसार प्रतीक्षा सूची भी तैयार किया जाना चाहिए।
8. चयनित अभ्यर्थी को कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव के माध्यम से उचित नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए।

केन्द्र समन्वयक (Hub Coordinator) हेतु योग्यता

- केन्द्र समन्वयक के पद हेतु अभ्यर्थी को न्यूनतम स्नातक (किसी भी विषय में) होना चाहिए। प्राथमिकता स्नातकोत्तर/ एमएसडब्ल्यू/एमए समाजशास्त्र/एमए मनोविज्ञान/ एमबीए आदि को दिया जाना चाहिए।

  (यदि किसी क्षेत्र में स्नातक अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं प्राप्त हुए हैं एवं क्षेत्र में समन्वयक पद हेतु 12वीं उत्तीर्ण अनुकूल अभ्यर्थी हैं तो सामुदायिक संकुल स्तरीय संगठन के पदाधिकारी आपसी सहमति के आधार पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 12वी उत्तीर्ण कर सकते हैं। )
- ग्रामीण क्षेत्रों में 1-3 वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए
- अच्छा संचार और सामाजिक कौशल होना चाहिए
- कौशल प्रशिक्षण, रोजगार या प्लेसमेंट सहायता में काम करने का अनुभव होने पर वरीयता दी जाएगी
- कंप्यूटर, स्मार्ट फोन, इंटरनेट, ई-मेल, वर्चुअल मीटिंग, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप, फेसबुक आदि का उपयोग करने का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए
- हिंदी और स्थानीय भाषा (पढ़ना, लिखना, बोलना) में धाराप्रवाह होना चाहिए
- अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और समझने में सक्षम होना चाहिए (अंग्रेजी में धाराप्रवाह को प्राथमिकता दी जाएगी)

- वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ दुपहिया वाहन होना चाहिए
- सामाजिक कार्यों में स्वयंसेवा करने का उत्साह होना चाहिए
- युवाओं को विभिन्न युवा गतिविधियों से जोड़ने में सक्षम होना चाहिए
- रिक्त स्थान के जिला, ब्लॉक, सीएलएफ और ग्राम पंचायतों का भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए
- स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठन, क्लस्टर स्तरीय संघ, आजीविका मिशन और विभिन्न सरकारी योजनाओं आदि की समझ होनी चाहिए
- टीम में काम करने में सक्षम होना चाहिए एवं टीम लीडरशिप कौशल होना चाहिए
- सौंपे गए कार्यदायित्वों को समयसीमा में पूरा करने हेतु समर्पित होना चाहिए
- नवाचार सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी स्थान पर आयोजित विभिन्न आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण लेना चाहिए
- महिला अभ्यर्थी को वरीयता दिया जाना चाहिए
- आयु 21-35 वर्ष तक होना चाहिए

**ब. सारथी (Field Mobilizer) हेतु चयन प्रक्रिया**

सारथी के चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में आयोजित होना चाहिए –

1. सारथी हेतु चयन प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित होना चाहिए - लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार
2. चयन प्रक्रिया से पूर्व चयन समिति का गठन होना चाहिए जिसमे अनिवार्यतः न्यूनतम 3 पृथक-पृथक ग्राम संगठनों के सदस्य होना चाहिए। सुयोग्य अभ्यर्थी के चयन एवं पारदर्शिता हेतु चयन समिति के सदस्य संकुल स्तरीय संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अतिरिक्त भी हो सकते हैं। कार्यकारी समिति, चयन समिति को गठित करने के लिए संगठन के सदस्यों अथवा बाह्य विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है, परंतु चयन समिति की अध्यक्षता केवल संगठन के सदस्यों द्वारा होना चाहिए।
3. गठित चयन समिति द्वारा सारथी के रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु एक विज्ञापन जारी कर विभिन्न सामुदायिक मंचों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना चाहिए जिससे न्यूनतम रिक्त पद के 9 गुना आवेदन प्राप्त होना चाहिए।
4. अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों को न्यूनतम योग्यता, आयु , अनुभव आदि के आधार पर सत्यापित कर पात्र अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया हेतु आमंत्रित करना चाहिए एवं चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित तिथि की सूचना अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए।

5. निर्धारित चयन प्रक्रिया के दिन लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना चाहिए जिसमे न्यूनतम अर्हता (40%) प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों को अगले चरण में आयोजित व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना चाहिए ।
6. चयन प्रक्रिया एक अथवा दो दिवस में आयोजित की जा सकती है। लिखित परीक्षा के दिन अथवा पूर्व में ही परिणाम घोषणा तिथि की सूचना भी अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए।
7. चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों की सूची केन्द्र पर चस्पा किया जाना चाहिए, साथ ही श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर रिक्त पद संख्या के अनुसार प्रतीक्षा सूची भी तैयार किया जाना चाहिए।
8. चयनित अभ्यर्थी को कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव के माध्यम से उचित नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए।

सारथी (Field Mobilizer) हेतु योग्यता

- किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वी उत्तीर्ण (किसी भी विषय में) होना चाहिए

  ( यदि किसी क्षेत्र में 12वीं अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं प्राप्त हुए हैं एवं क्षेत्र में सारथी पद हेतु 10वीं उत्तीर्ण अनुकूल अभ्यर्थी हैं तो सामुदायिक संकुल स्तरीय संगठन के पदाधिकारी आपसी सहमति के आधार पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 10वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। )
- हिन्दी लिखने एवं पढ़ने मे योग्यता
- अंग्रेजी भाषा पढ़ने एवं लिखने मे योग्यता
- हिन्दी एवं क्षेत्रीय बोली बोलने एवं सुनने मे निपुणता होना चाहिए
- कंप्युटर/ स्मार्ट फोन, इंटरनेट, ईमेल, वर्चुअल मीटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सप्प, फेसबुक आदि के संचालन मे निपुणता
- वैध ड्राइविंग लाइसेन्स के साथ दोपहिया वाहन/ आवागमन सुविधा होना चाहिए
- मोबलाइजेशन एवं नवीन कौशल सीखने की योग्यता
- युवा सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र विकास मे योगदान देने की इच्छाशक्ति

- आत्म-विश्वास, टीम मे कार्य करने, एकाकी रूप से कार्य करने एवं बिना किसी सहायता अथवा मार्गदर्शन के कार्य करने की क्षमता
- सामाजिक सूचकांकों /विषयों का विश्लेषण करने की कुशलता
- एक साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करने मे कुशलता
- संगठन/संस्था द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के सुचारु संचालन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सहमति
- आवेदक को रिक्त पद क्षेत्र के जिले, विकासखण्ड, संकुल एवं ग्राम पंचायतों के बारे भौगोलिक जानकारी होना चाहिए
- महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी
- महिला स्व-सहायता समूह/ ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संगठन/कौशल एवं रोजगार क्षेत्र/सामुदायिक मोबलाईजेशन मे कार्य अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- आयु 18 से 30 वर्ष तक होना चाहिए

## सामुदायिक नेतृत्व आधारित ग्रामीण युवा संसाधन केन्द्र स्थापना हेतु आवश्यक अधोसंरचना

कम्यूनिटी लेड रुरल यूथ रिसोर्स हब के व्यावहारिक एवं सुगम परिचालन हेतु एक आदर्श न्यूनतम संसाधन सहित अधोसंरचना होना चाहिए जिससे केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों का सुचारु रूप से आयोजन किया जा सके।

**भवन एवं स्थान**

केन्द्र के परिचालन हेतु लगभग 600-800 वर्गफुट स्थान होना चाहिए। केन्द्र हेतु भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ तक पहुँचने के लिए यातायात के साधन आसानी से उपलब्ध हों। केन्द्र में शारीरिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) लोगों हेतु स्टेप रेंप भी होना चाहिए जिससे उन्हें केन्द्र में जाने में असुविधा न हो।

**काउंसलिंग कक्ष**

केन्द्र में 80-100 वर्गफुट का पंजीयन सह काउंसलिंग कक्ष होना चाहिए जिसमें केन्द्र समन्वयक द्वारा पंजीयन व व्यक्तिगत काउंसलिंग की प्रक्रिया को आयोजित किया जा सके।

**मनोवैज्ञानिक परीक्षण**

मनोवैज्ञानिक परीक्षण हेतु पृथक से स्थान होना चाहिए एवं उचित बैठक व्यवस्था होना चाहिए जहाँ युवा बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व एवं अभिरुचि मापन परीक्षण दे सकें।

**सामूहिक चर्चा कक्ष**

सामूहिक चर्चा एवं सामूहिक काउंसलिंग के आयोजन के लिए एक विशेष कक्ष होना चाहिए जहाँ परामर्शदाता एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा सामूहिक रूप से परामर्श एवं परिचर्चा की प्रक्रिया आयोजित की जा सके।

**गतिविधि सह व्याख्यान कक्ष**

विभिन्न गतिविधियों जैसे- कॅरियर व्याख्यान, कौशल विकास कार्यशाला, सेमीनार, उद्यमिता प्रेरण प्रशिक्षण आदि के आयोजन के लिए 30-40 लोगों की बैठक क्षमता वाला एक गतिविधि सह व्याख्यान कक्ष होना चाहिए, जिससे केन्द्र पर ही विभिन्न रोजगारोन्मुखी गतिविधियों का आयोजन किया जा सके।

**प्रतीक्षा कक्ष**

दैनिक आवाजाही (वाक-इन) को व्यवस्थित रखने के लिए केन्द्र में प्रतीक्षा बैठक व्यवस्था होना चाहिए, इसके लिए एक कक्ष अथवा ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ प्रतीक्षा किए जाने से अन्य गतिविधियाँ बाधित न हों।

**सूचना पटल**

विभिन्न कॅरियर, कौशल विकास, रोज़गार, स्व-रोज़गार एवं उद्यमिता, स्कालर्शिप अलर्ट, जॉब्स अलर्ट, एक्साम अलर्ट एवं गतिविधियों आदि की जानकारी सार्वजनिक करने हेतु केन्द्र में एक सूचना पटल होना चाहिए।

**पुस्तकालय**

ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय की सुविधा अत्यंत सीमित है इसलिए केन्द्र में पुस्तकालय अथवा लाइब्रेरी कॉर्नर होना चाहिए, जहाँ बैठकर युवा विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का अध्ययन कर सकें। पुस्तकालय में रोज़गार संबंधी समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं, भाषायी कौशल उन्नयन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित पुस्तकों का संकलन होना चाहिए।

**शौचालय**

केन्द्र में शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। महिला एवं पुरुष हेतु पृथक से प्रसाधन एवं शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए एवं नियमित रूप साफ-सफाई होना चाहिए।

**पेयजल व्यवस्था**

केन्द्र में पेयजल की उचित व्यवस्था होना चाहिए एवं नियमित रूप से स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

**बिजली व्यवस्था**

केन्द्र हेतु बिजली व्यवस्था के साथ-साथ पावर बैक-अप की सुविधा इनवर्टर बैटरी आदि होना चाहिए जिससे गतिविधियों के आयोजन में बाधा न हो।

**इंटरनेट कनेक्टिविटी**

विभिन्न ऑनलाइन रोज़गारोन्मुखी कार्यक्रमों, वर्चुअल कक्षाओं, वेबीनार एवं वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव आदि के आयोजन के लिए तीव्र इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था होना चाहिए।

**अन्य आवश्यक संसाधन**

केन्द्र में विभिन्न आवश्यक उपकरण जैसे- लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, व्हाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, स्पीकर, टेबल, कुर्सियाँ आदि की उपलब्धता होना चाहिए , जिससे केन्द्र की गतिविधियों का सुचारु संचालन हो सके।

अन्य आवश्यक संसाधन सूची

| S.No. स.क्र. | Equipment/ Resource संसाधन | Standard Quantity आदर्श संख्या | **Purpose प्रयोजन** |
|---|---|---|---|
| 1 | Laptop लैपटॉप | 1 | For Documentation, Presentation, Virtual activities |
| 2 | Tablets टैबलेट | 3 | For Psychometric Assessment and Virtual Activities |
| 3 | Portable Speaker with Mic (5 Hour Battery Back-up) स्पीकर (माइक सहित) | 1 | For inbound and outbound activities |
| 4 | Multifunction Printer Laserjet मल्टी-फ़ंक्शन प्रिंटर | 1 | General Purpose printing |
| 5 | LED Smart/Android TV (50 inch or above) एलईडी एंड्रॉयड टीवी | 1 | Virtual Learning and activities |
| 6 | UPS Inverter + Battery (Power Back-up) इंवर्टर एवं बैटरी | 1 | Power Back-up |
| 7 | Steel Almira (Book Shelve) बुकशेल्फ अलमारी | 1 | Record safety purpose |
| 8 | Plastic Chair प्लास्टिक कुर्सी | 8 | Visitor and Waiting Chair |
| 9 | Executive Revolving chair रेवोलविंग कुर्सी | 1 | Counsellor/Coordinator Sitting |
| 10 | Wooden table (5' x 3') टेबल | 1 | For Counselling/Reception/Welcome Desk |
| 11 | White Board (3' x 5') व्हाइट बोर्ड | 1 | Class room |
| 12 | Notice Board (2' x 3') नोटिस बोर्ड | 1 | Information/awareness |
| 13 | Portable Projector and Curtain with Stand/Holder प्रोजेक्टर | 1 | For outreach activities |
| 14 | Classroom Setup and Sitting arrangement of 30-40 capacity क्लास रूम व्यवस्था | 1 | For Various NAK Activities |

आदर्श मानचित्र - सामुदायिक नेतृत्व आधारित ग्रामीण युवा संसाधन केन्द्र

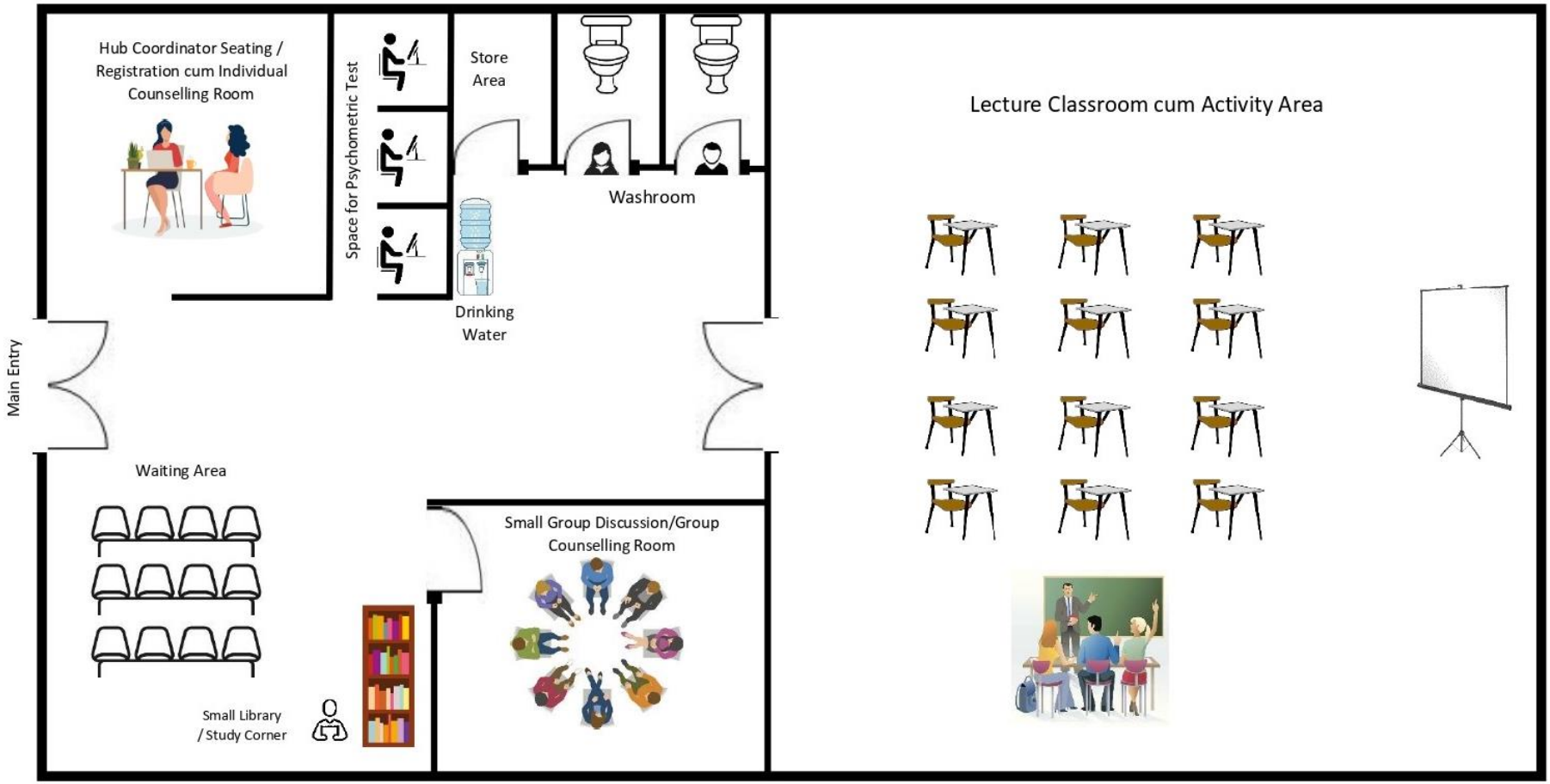

सामुदायिक नेतृत्व आधारित ग्रामीण युवा संसाधन केन्द्र

# प्रक्रिया प्रवाह

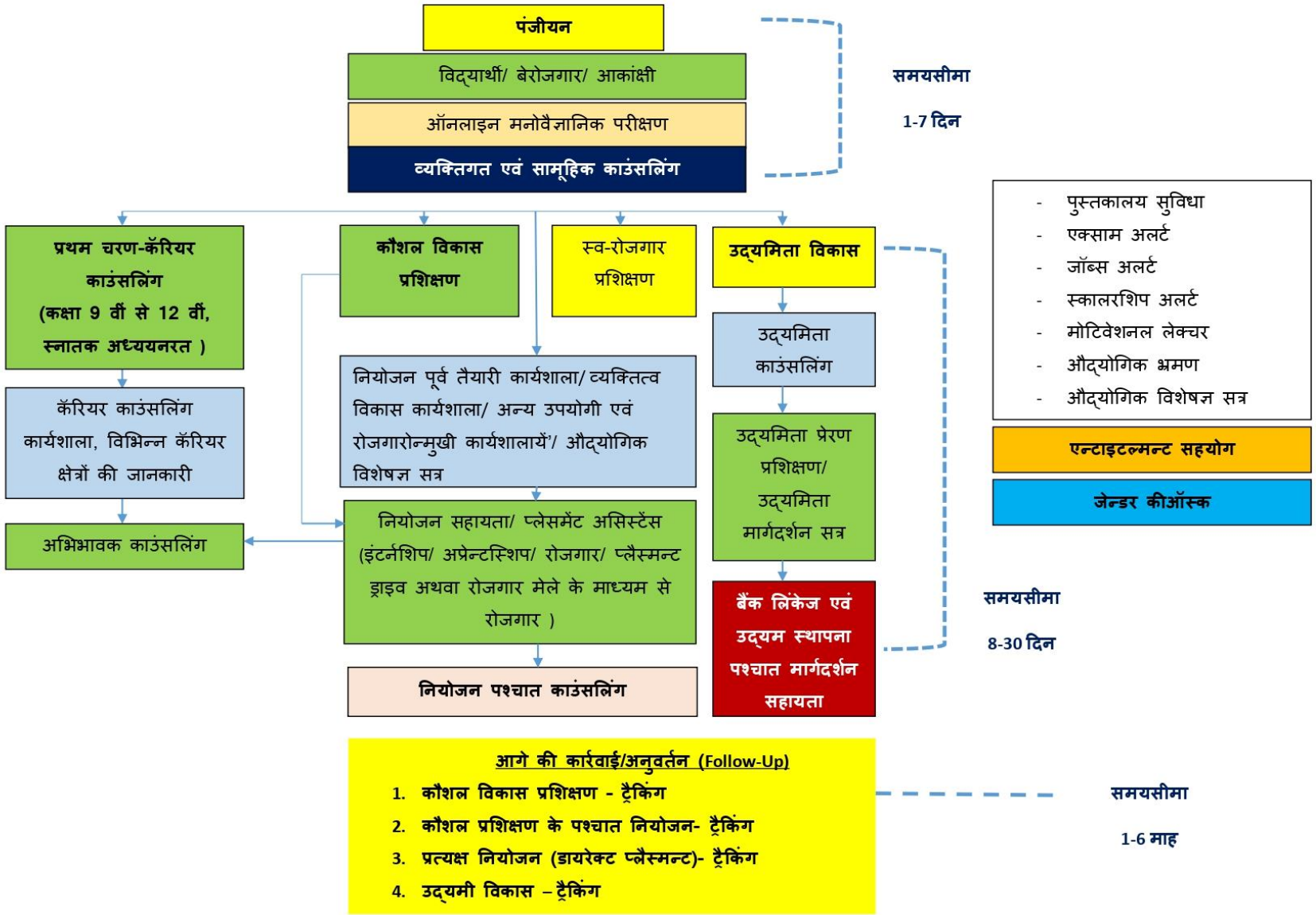

**मोबलाइजेशन**

ग्राम स्तर पर युवाओं तक पहुँचने, केन्द्र की सहयोगी सेवाओं के बारे में प्रचार-प्रसार करने के लिए एवं बेरोजगार युवाओं का पंजीयन करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है-

1. ग्राम पंचायत

   ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को स्थानीय रोज़गार अवसर उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत किया जाता है, विशेष रूप से ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत अनपढ़ शिक्षित बेरोजगारों को पंजीकृत किया जाता है। पंजीकृत युवाओं सूची ग्राम पंचायत सचिव एवं पंच के माध्यम प्राप्त की जा सकती है तथा योग्यता अनुसार युवाओं को केन्द्र में पंजीकृत कर विभिन्न कौशल विकास एवं आजीविका के अवसरों से जोड़ा जा सकता है। साथ ही, ग्राम पंचायत के माध्यम से मोबलाइज़ेशन कैम्प का आयोजन भी किया जा सकता है जिससे एक साथ बड़ी संख्या में युवाओं तक सूचना पहुँचायी जा सकती है।

2. ग्राम संगठन

   संकुल स्तरीय संघ के नेतृत्व में केन्द्र स्थापित होने से ग्राम संगठन एवं ग्राम संगठन की उप-समितियाँ विशेष रूप से युवाओं के मोबलिज़ैशन में सहायक सिद्ध होती हैं। आजीविका संवर्धन उप-समिति द्वारा ग्राम के सभी बेरोजगार एवं आकांक्षी युवाओं की सूची बनाई जाती है जो 'युवा पंजी' कहलाती है। युवा पंजी के माध्यम से ग्राम के सभी आयु वर्ग एवं योग्यताधारी युवाओं से संपर्क किया जा सकता है एवं उन्हें केन्द्र के माध्यम से आजीविका अवसर उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत किया जा सकता है। यदि युवा पंजी अद्यतन नहीं है तो आजीविका उपसमिति एवं ग्राम संगठन के सदस्यों के माध्यम से इसे अद्यतन किया जा सकता है।

3. प्रत्यक्ष संपर्क

   ग्राम में प्रत्येक घर के आधारभूत सर्वे के दौरान युवाओं तक पहुँचा जा सकता है एवं प्राथमिक काउंसलिंग की प्रक्रिया द्वारा योग्यता के आधार पंजीयन किया जा सकता है।

4. शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से

   शैक्षणिक संस्थानों जैसे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, कोचिंग संस्थाओं एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों आदि के साथ संपर्क एवं समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों, युवाओं एवं किन्ही कारणों से विद्यालयीन शिक्षा छोड़ चुके युवाओं की सूची भी प्राप्त की जा सकती है।

**काउंसलिंग**

किसी भी समस्या के निवारण, कॅरियर अथवा आजीविका के स्त्रोत निर्धारण या आकांक्षा के मापन के लिए काउंसलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। काउंसलिंग के माध्यम से बातचीत एवं चर्चा द्वारा युवाओं की रुचि एवं अभिरुचि का पता लगाने के साथ-साथ उनकी पृष्ठभूमि की जानकारी भी एकत्रित की जाती है एवं विश्लेषण पश्चात उपयुक्त कॅरियर विकल्प से सबंधित परामर्श दिया जाता है।

1. मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व एवं अभिरुचि परीक्षण

   फील्ड पर की गई प्राथमिक काउंसलिंग/ बातचीत के आधार पर किए गए पंजीयन के पश्चात रिआसेक (RIASEC) परीक्षण/ हॉलेण्ड कोड पर आधारित ऑनलाइन मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व एवं अभिरुचि परीक्षण के लिए युवा को केन्द्र पर आमंत्रित करना चाहिए। यदि युवा किन्ही कारणों से केन्द्र तक पहुँचने में असमर्थ है तो उनके साथ अभिरुचि परीक्षण की लिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सप्प अथवा ईमेल के माध्यम से दिशा-निर्देश के साथ साझा किए जाने चाहिए। यदि युवा स्मार्ट फोन यूजर नहीं है तो सारथी को स्वयं अपने मोबाईल या टैबलेट से इस प्रक्रिया को पंजीयन के पश्चात सम्पन्न करवाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, पंजीयन तिथि के एक से तीन दिवस के अंदर पूर्ण होना चाहिए।

2. व्यक्तिगत काउंसलिंग

   मनोवैज्ञानिक परीक्षण पूर्ण होने के बाद त्वरित रूप से समन्वयक द्वारा टेस्ट रिपोर्ट का अवलोकन किया जाना चाहिए एवं उसके आधार पर व्यक्तिगत काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ा जाना चाहिए। व्यक्तिगत काउंसलिंग में आदर्श काउंसलिंग प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग करना चाहिए। पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर युवा को भविष्य के लिए परामर्श देना चाहिए जैसे- उच्च शिक्षा, कौशल विकास, रोज़गार अथवा स्व-रोज़गार एवं उद्यमिता। परामर्श संबंधित सम्पूर्ण जानकारी रिपोर्ट में टिप्पणी/रिमार्क में लिखना चाहिए। व्यक्तिगत काउंसलिंग, मनोवैज्ञानिक परीक्षण दिनांक के पश्चात एक से तीन कार्य दिवसों में प्रारंभ हो जाना चाहिए।

3. सामूहिक काउंसलिंग

   सामूहिक चर्चा एवं सामूहिक काउंसलिंग को सामूहिक काउंसलिंग के नियमानुसार करना चाहिए। एक जैसे कॅरियर विकल्प चुनाव होने की स्थिति में अथवा एक समान समस्या या समाधान होने की दशा में सामूहिक काउंसलिंग को आयोजित किया जाना चाहिए।

4. अभिभावक काउंसलिंग

   काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान यदि काउन्सलर को लगता है कि युवा को अभिभावकों से विशेष ध्यान एवं सहयोग की आवश्यकता है अथवा युवा द्वारा चुने गए कॅरियर / आजीविका विकल्प के लिए अभिभावकों की सहमति एवं विशेष सहयोग अनिवार्य है, तब अभिभावक काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए एवं युवा की पंजीयन से

लेकर व्यक्तिगत काउंसलिंग एवं कॅरियर चुनवा की प्रक्रिया से अवगत करवाना चाहिए, फिर आगे युवा के बारे में परिचर्चा किया जाना चाहिए।

**आजीविका एवं कॅरियर विकल्प**

**उच्च शिक्षा**

काउंसलिंग के दौरान यदि युवा का रुझान अभिरुचि, उपलब्ध संसाधन एवं विकल्पों के आधार पर आगे शिक्षा को निरंतर रखने की ओर है तो काउन्सलर को युवा को उच्च शिक्षा के लिए परामर्श देते हुए उपयुक्त विकल्प उपलब्ध करवाते हुए प्रेरित करना चाहिए।

**कौशल विकास**

व्यक्तिगत काउंसलिंग के पश्चात युवा की अभिरुचि के आधार पर बाज़ार की माँग के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र युवाओं को कुशल बनाने और अद्यतन तकनीक के सुगम प्रयोग करने हेतु बाजार और सरकार की विभिन्न योजनाओं जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आधिकारिक ट्रेनिंग पार्टनर के  भिन्न-भिन्न सेक्टर के कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ना चाहिए। इस हेतु केंद्र के साथ सूचीबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाता एवं युवा की सहमति के आधार पर आसपास के जिलों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा संचालित उपयुक्त कौशल उन्नयन कार्यक्रम से युवाओं को जोड़ना चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (ILO) एवं इंटरनेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क (ISQF) के द्वारा परिभाषित श्रमिक श्रेणियों – अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल के आधार पर कौशल एवं प्रमाणीकरण के लिए कौशल विकास से संबंधित विभिन्न विभाग एवं योजनायें जिनके साथ समन्वय स्थापित कर युवाओं को विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए –

- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
- नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) के ट्रेनिंग पार्टनर्स

लगभग समस्त कौशल विकास कार्यक्रम , नैशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क पर आधारित हैं जिसके संचालन की आधिकारिक इकाई नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) है।

कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ने हेतु प्रक्रिया –

1. मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद परामर्श के रूप में युवा द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण के प्रति रुझान होने पर, युवा को उसके अभिरुचि के आधार पर वर्तमान में संचालित सेक्टर एवं जॉब रोल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दिया जाना चाहिए।
2. संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण के प्रदाता (Training Provider) संस्थान से परिचय एवं प्रशिक्षण काउंसलिंग करवाना चाहिए जिससे युवा को कौशल प्रशिक्षण संबंधित सम्पूर्ण जानकारी जैसे- प्रशिक्षण की अवधि, स्थान, प्रशिक्षण का प्रकार, प्रमाणीकरण एवं रोज़गार अवसर आदि के बारे पहले से पता हो।
3. कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात युवा की ट्रैनिंग के बारे में भी समय-समय पर (प्रत्येक 15 दिन / एक माह में) फॉलो-अप लेना चाहिए जिससे युवा की प्रगति की जानकारी प्राप्त हो सके।
4. कौशल विकास प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात युवा के प्लेसमेंट के बारे में भी फॉलो-अप करना चाहिए। यदि कौशल संस्थान द्वारा प्लेसमेंट करवा दिया गया है तो संबंधित नियोजक के साथ कार्य करते हुए प्रगति को ट्रैक करना चाहिए। यदि प्रशिक्षण के पश्चात युवा को  प्लेसमेंट नहीं मिला है तो कौशल प्रशिक्षण प्रदाता से समन्वय कर कारण ज्ञात करना चाहिए एवं नियोजकों से संपर्क द्वारा संबंधित सेक्टर में रोज़गार की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. युवा का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लेने से लेकर प्रशिक्षण पूर्ण होने के 6 माह बाद तक प्रगति को ट्रेक करना चाहिए।

**रोज़गार**

1. **औपचारिक रोज़गार**

   ऐसे युवा जो अर्धकुशल एवं कुशल हैं और प्राथमिक रूप से रोज़गार की आकांक्षा रखते हैं उन्हें परामर्श के पश्चात विभिन्न नियोजकों से प्राप्त औपचारिक रोज़गार अवसरों से जोड़ा जाना चाहिए। इस हेतु नियमित रूप से संगठित एवं गैर-संगठित क्षेत्र के भिन्न-भिन्न सेक्टर के औपचारिक रोज़गार अवसरों की जानकारी को अद्यतन रखने हेतु नियोजकों के सतत संपर्क में रहना चाहिए।

2. **अनौपचारिक एवं स्थानीय रोज़गार**

   जो युवा त्वरित रूप से स्थानीय रोज़गार अवसर की तलाश में हैं उन्हें स्थानीय स्तर पर गैर-संगठित क्षेत्र के रोज़गार अवसरों की जानकारी एवं विकल्प उपलब्ध करवाया जाना चाहिए एवं नियोजकों से साथ समन्वय द्वारा चयन प्रक्रिया को सम्पन्न करवाना चाहिए।

3. **नियोजन पूर्व-तैयारी कार्यशाला**

   किसी भी सेक्टर या क्षेत्र विशेष में नियोजन की चयन प्रक्रिया से पहले प्रति 20-30 युवाओं हेतु एक नियोजन पूर्व तैयारी कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए जिसके माध्यम से युवाओं को रेज़यूमे/सीवी/ बायोडाटा एवं कवर लेटर लेखन, फॉर्मल ड्रेस-अप , एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

4. **नियोजन (प्लेसमेंट) गतिविधि का आयोजन**

   युवाओं को उनके कौशल एवं रुचि के आधार पर विभिन्न सेक्टर में उपलब्ध रोज़गार अवसरों की जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ-साथ चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नियोजकों से समन्वय स्थापित कर प्रत्यक्ष प्लेसमेंट अथवा प्लेसमेंट ड्राइव/ रोज़गार मेला/ वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से चयन प्रक्रिया को आयोजित किया जाना चाहिए।
   नियोजन प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में आयोजित किया जाना चाहिए –

   4.1 नियोजक से अद्यतन रोज़गार अवसरों की जानकारी प्राप्त करना एवं सत्यापित करना

   4.2 नियोजक से प्राप्त जानकारी को पारदर्शिता के साथ युवाओं से साझा करना

   4.3 चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इच्छुक युवाओं की सूची तैयार करना

   4.4 प्लेसमेंट ड्राइव / चयन प्रक्रिया तिथि एवं स्थान तय करने के नियोजक से औपचारिक पत्राचार/ईमेल करना एवं सहमति लेना

   4.5 प्लेसमेंट ड्राइव स्थान, दिनांक एवं समय की जानकारी इच्छुक युवाओं के साथ साझा करना

   4.6 प्लेसमेंट ड्राइव पूर्व तैयारी करना जैसे – बैनर, बैठक व्यवस्था, पेयजल आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना

   4.7 नियत तिथि के दिन प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन करना एवं दस्तावेजीकरण- चयनित अभ्यर्थियों की नियोजक हस्ताक्षरित सूची प्राप्त करना, ऑफर लेटर/ जॉइनिंग लेटर आदि के लिए नियोजक से समन्वय करना

4.8 चयनित अभ्यर्थियों को जॉइनिंग दिनांक, स्थान, नियोजक प्रतिनिधि का संपर्क उपलब्ध करवाना साथ ही, नियोजक को जॉइन करने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करना

4.9 नियोजक को धन्यवाद पत्र लिखना एवं आयोजन संबंधित फीडबैक लेना

4.10 चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों से फीडबैक लेना एवं नियोजन पश्चात काउंसलिंग सत्र का आयोजन करना

**5. नियोजन पश्चात काउंसलिंग**

कई युवा चयनित होने के पश्चात भी किन्ही कारणों से जॉइनिंग करने में झिझकते हैं, अथवा उनके नियुक्ति होने पर शीघ्र लौट के आने की संभावना रहती है , ऐसे में चयनित युवाओं के लिए नियोजन पश्चात काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे युवाओं के सभी प्रश्नों का उन्हे उत्तर मिल पाए। इस सत्र में नियोजकों को भी वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जा सकता है , साथ ही चयनित युवाओं के अभिभावक भी इस सत्र का भाग हो सकते हैं।